न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 23/2005/अपील

1. गिरधारी पुत्र महावीर प्रसाद
2. प्रहलाद पुत्र महावीर प्रसाद
3. ईशा पुत्र महावीर प्रसाद (फौत)–
   - 3/1. प्रियंका पत्नि स्व. ईशा
   - 3/2. विशाल पुत्र स्व. ईशा
   - 3/3. यजदीप पुत्र स्व. ईशा
   - 3/4. नेना पुत्री स्व. ईशा

   } नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रियंका

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण चक सुन्दरपुरा तहसील दांतारामगढ जि0 सीकर।

–अपीलांट्स

ब ना म

1. भगवानी पुत्री गुलझारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. शंकरलाल पुत्र हणमान जाति ब्राह्मण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. ग्यारसी देवी पत्नि सुरज मल
4. बिमला पुत्री सुरजमल
5. शांती देवी पुत्री सुरजमल
6. पुष्पा देवी पुत्री सुरजमल
7. ग्राम पंचायत पलसाना, जरिये सरपंच ग्राम पचायत पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–रेस्पोडेंट्स

अपील बाबत निरस्त किये जाने नामांतरण सं0 1197 दिनांकित 07.09.1977

उपस्थिति–

1. श्री रेखराज पारीक वकील अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, मूलचंद धायल वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर सें।

निर्णय दिनांक–21.08.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की भूमियां खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 777, 778, 779, 780, 781 जिसका नया नम्बर 3836, 3838,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

3835, 3837 ग्राम पलसाना में अवस्थित है उक्त आराजियात के एकमा काबिज खातेदार अपीलांट के नाना गुलझारीलाल पुत्र जानकारीलाल थे, गुलजारीलाल फौत हो चुके है जिसके बाद उनके वैद्य उत्तराधिकारियों ने उनकी बेवा बिदामीदेवी दो पुत्रियों श्रीमति भगवानीदेवी व श्रीमति ग्यारसी देवी थी। अपीलांट की नानी बिदामीदेवी फौत हो चुकी है। गुलझारीलाल की एकमात्र उत्तराधिकारी उनकी बेवा व उनकी दो पुत्रियों के अलावा कोई नहीं था, गुलझारीलाल की पुत्री ग्यारसीदेवी अपीलान्ट की माता की भी दिनांक 02.02. 1993 को मृत्यु हो गई। गुलझारीलाल की जीवित अवस्था में विवादित कृषि आराजियात पर बहैसियत गुलझारीलाल काबिज थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेवा व दोनों पुत्रियां विवादित आराजियात पर काबिज काश्त थी। गुलझारीलाल की सम्पति पर अपीलांट की माता ग्यारसी देवी का 1/2 हक व हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 1/2 हक व हिस्सा काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ता 6 व 10 के पूर्वज सूरजमल ने गुलझारी लाल की सम्पति में अपने आपको उनका दत्तक पुत्र बताकर अनुचित अनाधिकृत व अवैद्य कार्यवाही में नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1972 करवा यिा जो कि गलत रूप सें अपने नाम करवाया जबकि गुलझारीलाल ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया और न ही अपीलांट की नानी ने किसी को गोद लिया। ग्यारसीदेवी की सम्पूर्ण संपति के उत्तराधिकारी अपीलांट है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित संपति में अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 1/2 हिस्सा होन तथा गुलझारीलाल के कोई दत्तक पुत्र नहीं होने के कारण अपीलाधीन नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 निरस्त किया जावे उक्त नामांतरण निम्न कारणों सें भी निरस्त होने योग्य है– 1. उक्त नामांतरण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। 2. रेस्पोडेन्ट सं0 2 शंकरलाल व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 6 व 10 को गुलझारीलाल ने कभी गोद नहीं लिया व शंकरलाल व सूरजमल दोनों सगे भाई है जो हनुमानबक्स के जाईन्दा पुत्र है, वोटरलिस्ट आदि दस्तावेजों में सूरजमल के पिता का नाम हनुमान दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

जिसकी जांच किये बिना हीं नामांतरण भरा गया जो निरस्तनीय है। 3. गुलझारीलाल ने कभी गोद का पुत्र नहीं लिया इस कारण उक्त अपीलाधीन नामांतरण निरस्तनीय है। 4. नामांतरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं करने के कारण नामांतरण निरस्तनीय है। 5. अपीलांट की माता को बिना सुने कल्पना व अनुमान के आधार पर भरा गया नामांतरण निरस्त किये जाने योग्य है। 6. नामांतरण भरते वक्त उक्त गोद संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मंगवाकर तथा इसकी जांच किये बिना ही नामांतरण तस्दीक किया गया है। 7. रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 7 व 10 के पूर्वज सुरजमल की मृत्यु दिनांक 22.09.2004 को हो गई इसमें भी सूरजमल के पिता का नाम हनुमानप्रसाद लिखा हुआ है तथा इस तथ्य को छुपाने की गर्ज सें मृतक सूरजम के दो मृत्युप्रमाण पत्र प्राप्त किये गये है। 8. बिना गोदनामें की जांच किये बिना किसी किसी वैद्य दस्तावेज के केवलमात्र बिदामीदेवी के बयानों के आधार पर भरा गया नामांतरण निरस्तनीय है। 9. अपीलांट की माता की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजियात में अपीलांट ने अपने नाम नामांतरण भरने का कहा तो ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच आश्वासन देते रहे और टालमटोल करते रहे। दिनांक 10.07.2005 को रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 6 व 10 के पूर्वज सुरजमल का अपने आपको बाबूलाल ने गोद का पुत्र बनकर अपने नाम नामांतरण की धमकी दी तब अपीलान्ट ने उक्त नामांतरण का ज्ञान हुआ जिसकी नकल दिनाक 15.07.2005 को प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा भरा गया नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 विधि विरूद्ध होन सें निरस्त किया जाकर गुलझारीलाल के वैद्य वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में भरे जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

मूलचंद धायल हाजिर आये। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर सें अपील आपत्तियां पेश की गई जिनका जवाब वकील अपीलांट की ओर सें पेश किया गया। लिखित बहस उभयपक्ष पेश की गई जो मिसल शामिल की गई।

3. लिखित बहस उभयपक्ष का अवलोकन किया गया लिखित बहस में विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 को विधि विरूद्ध होने सें निरस्त किया जाकर गुलझारीलाल के वैद्य वारिसान के पक्ष में नामांतरण भरने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर सें प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिंदु पर अपील खारिज करने हेतु न्यायालय सें आग्रह किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की चस्पानगी इस प्रकरण में नहीं होती। इस संबंध में नामांतरण पंजिका की प्रमाणित प्रति नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा नामांतरण पंजिका में अंकित किया गया है कि "पंचायत मीटिंग में श्रीमति बिदामीदेवी बेवा गुलजारीलाल हाजिर आई बयान करने खसरा नम्बर 777 का कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 778 चाह में 1/3 हिस्सा अपने नाम व खसरा नम्बर 779 रकबा बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 780 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 778 में 2/3 हिस्सा की भूमि सूरजमल व शंकरलाल दत्तक पुत्र गुलजारीलाल के नाम बहिस्सा बराबर किया जाये। ग्राम पंचायत द्वारा दो दत्तक पुत्रों के पक्ष में नामांतरण भरना व बिना रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर अधिकार क्षैत्र सें परे जाकर तस्दीक किया गया नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 प्रारम्भ सें ही शून्य व प्रभावहीन है। अपीलाधीन नामांतरण आरम्भतः शून्य होने सें मियाद लागू नहीं होती जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में **RLW 2006 page 960 Board of revenue for Raj.** निर्णय दिनांक 25.05.2006 **State of**

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़

Scanned by CamScanner

rajasthan v/s Mohan Ram Order void ab ignition can be set aside at time. No question of limitation involved पारित किया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 की मियाद के बिन्दू पर प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है।

मियाद के बिन्दू पर आपत्ति के निस्तारण के उपरांत विद्वान अभिभाषकों की लिखित बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। भूमि खसरा नम्बर 777, 778, 779, 780, 781 जिसके नये खसरा नम्बर 3836, 3838, 3835, 3837 ग्राम पलसाना में अवस्थित भूमि के नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09.1977 जो कि ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना रजिस्टर्ड गोदनामें के नामांतरण तस्दीक कर अधिकार क्षैत्र सें परे जाकर एवं नामांतरण भरते समय सभी विधिक वारिसानों को बिना सुने ही नामांतरण भरने में भारी विधिक भूल की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिस होती है अतः ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण सं0 1197 दिनांक 07.09. 1977 को खारिज किया जकर तहसीलदार दांतारामगढ को निर्णय की प्रति प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार गुलजारीलाल के समस्त वारिसान की सुनवाई करते हुए पुनः नामांतरण भरने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner